

112134 - उसके कुछ साथियों ने उसके सतीत्व पर आरोप लगाया है तो उनकी क्या सजा है ? और वह उनके साथ किस तरह व्यवहार करे ?

प्रश्न

मैं एक सैन्य क्षेत्र से जुड़ा हूँ, जिसमें मुझे काम करते हुए लगभग तेरह साल होगए। सहसा एक दिन मैं आश्चर्यचकित और हैरान रह जाता हूँ, और मैं कांपने लगता हूँ और जो कुछ मेरे चारों ओर चल रहा था उस पर मुझे विश्वास नहीं होता है। वह यह कि मेरे बारे में यह अफवाह फैलाई गई थी – जिससे मैं महान अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, और इस बात से कि मैं उन लोगों में से हूँ – जिसका आशय यह है कि : (मैं हिजड़ा हूँ) !! ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ! दिन और महीने गुज़रते गए, मैं कुछ भी नहीं कर सका। क्रसम है महान अल्लाह की ! कि मैं हर पल अपने ऊपर अफसोस करता हूँ, और इस बात पर कि मेरी इमेज (प्रतिष्ठा) कहाँ पहुँच चुकी है जो मेरे जीवन में सबसे बड़ी चीज़ थी। ज्ञात रहे कि दिन प्रति दिन अफवाह फैलती ही जा रही है, और इस स्तर तक बढ़ती जा रही है कि मैं दूसरों के साथ बात नहीं कर सकता, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ! मुझे इसका समाधान कहाँ मिल सकता है ? मैं जब भी किसी से बात करता हूँ वह कहता है कि : तुम सब्र से काम लो, या जवाब न दो। क्या किया जाए ? जबकि ज्ञात होना चाहिए कि मेरी उमर 33 वर्ष है, और मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे भी हैं, ... मैं अल्लाह की क्रसम खाता हूँ ऐसी क्रसम जिस पर क्रियामत के दिन मेरा हिसाब होगा कि मैं इन सबसे बरी और बेगुनाह हूँ और जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसपर अल्लाह गवाह है।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

कुछ सलफ का कहना है कि : “धरती पर कोई अन्य चीज़ ऐसी नहीं है जो ज़ुबान से अधिक क़ैद (बांधकर रखने) की ज़रूरत मंद हो।” जबकि वास्तविकता यह है कि वह मुँहके अंदर, दाँतोंके फाटक के अंदरबंद है, और उसके ऊपर दो अन्य फाटकदोनों होंठ भीबंद हैं ! इसके बावजूद वह उस कड़ी पहरेदारीके होते हुए आदमीको पाप में गिरादेती है और कभीकभार कुफ्र मेंढकेल देती है।

तथा उल्कृष्ट बुद्धिकी बातों में से यह है कि : बात तुम्हाराबंदी है, परंतु जब वह तुम्हारी ज़ुबान से निकलजाए तो तुम उसकेबंदी बन जाते हो।”

तथा ज़ुबान को अल्लाह तआला की हराम कीहुई चीज़ों – लोगोंकी मान मर्यादा, सतीत्व के बारेमें लिप्तकरने, गीबत



(पिशुनता), चुगलखोरी, गाली गलूज, अल्लाह पर बिनाजानकारी के बातकहने, और जुबानके सामान्य अपराधों और अवज्ञाओं में बेलगाम छोड़ देने पर चेतवानी आई है।

अल्लाह तआला का फरमान है :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

سورة ق : 18

”कोई बात उसकी ज़बान पर नहीं आती मगर एक निरीक्षक उसके पास तैयार रहता है।” (सूरत काफ : 18)

तथा सहल बिन सअद से वर्णित है कि उन्होंने कहा : अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमने फरमाया : “जो व्यक्ति अपने दोनों जबड़ों के बीच और अपने दोनों पैरों के बीच की चीजों (अर्थात् जुबान और शरमगाह) की रक्षा की गारन्टी दे दे तो मैं उसके लिए स्वर्ग की गारन्टी देता हूँ।” इसे बुखारी (हदीस संख्या : 6109) ने रिवायत किया है।

तथा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमसे रिवायत किया है कि आप ने फरमाया :

“आदमी अल्लाह तआला की प्रसन्नता की कोई बात कहता है जिसे वह कोई महत्व नहीं देता है उसके द्वारा अल्लाह तआला उसे कई पद ऊँचा कर देता है, तथा बंदा अल्लाह के क्रोध की बात करता है जिसे वह कोई महत्व नहीं देता है उसके कारण वह नरक में गिरता जाता है।” इसे बुखारी (हदीस संख्या : 6113) ने रिवायत किया है।

जहाँ तक ऐ प्रश्न करने वाले भाई! आपके सतीत्व पर लांछन लगाने की बात है : तो इस बात को जान लीजिए कि अल्लाह तआला अत्याचारी को ढील देता है, यहाँ तक कि जब उसे पकड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं है, तथा आपको आपके सब करने और कष्ट को सहन करने पर पुरस्कृत किया जायेगा और स्वयं वही लोग पापी होंगे और आपके ऊपर झूठा आरोप लगाने पर दुनिया में शरई हद (दण्ड) के पात्र होंगे, तथा आखिरत में यातना के पात्र बनेंगे। तथा वे लोग उन मुफलिसों (दरिद्रों) में से हैं जिनकी नेकियाँ लेकर मज़लूम को दे दी जायेंगी और उसके गुनाहों को लेकर उनके ऊपर डाल दिया जायेगा, सिवाय इसके कि अल्लाह तआला उन्हें क्षमा प्रदान कर दे।

अतः उन लोगों ने जो आप को अनैतिकता से आरोपित किया है वह एक घृणित बात और झूठ है, और उन्होंने ने कई बड़े-बड़े गुनाह किए हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख लांछना, मिथ्या दोषारोपण, कुकर्म का आरोप लगाना और गीबत है, और ये सब के सब जघन्य अपराधों में से हैं:

1- बोहतान : इस पर चेतवानी देते हुए अल्लाह तआला ने फरमाया :



2- रही बात मिथ्यारोप की : तो वह बड़े गुनाहों में से है, और उसके बारे में अस्सीकोड़ों का दण्ड है। अल्लाह तआलाने फरमाया :

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ  
[تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ] [النور: 4-5]

”और जो लोग पाक दामन और तों पर (व्यभिचार का) आरोप लगाएँ फिर (अपने दावे पर) चार गवाह पेश न करें तो उन्हें अस्सीकोड़े मारो और फिर कभी उनकी गवाही कबूल न करो और (याद रखो कि) ये लोग स्वयं बदकार (अवज्ञाकारी) हैं। सिवाय उन लोगों के जो इसके पश्चात् तौबा कर लें और सुधार कर लें, तो निश्चय ही अल्लाह बहुत क्षमाशील, अत्यन्त दयावान है।” (सूरतुन्नूर : 4-5)

इब्ने कसीर रहिमहुल्लाहने फरमाया :

अल्लाह तआला ने आरोप लगाने वाले पर यदि वह अपनी बात के सही होने पर सबूत न स्थापित कर सके तो न अहकाम (प्रावधान) अनिवार्य किए हैं : उनमें से एक यह है कि : उसे अस्सी कोड़े लगाए जाएं। दूसरा : हमेशा के लिए उसकी गवाही को रद्द कर दिया जाए। और तीसरा यह कि : वह फासिक हो जायेगा, न्याय प्रिय नहीं रह जायेगा, न तो अल्लाह के निकट और न ही लोगों के निकट।

तफसीर इब्ने कसीर (3/292).

तथा इब्ने हजर रहिमहुल्लाहने फरमाया : इस बात पर सर्वसम्मत सिद्ध हो चुका है कि पवित्र चरित्र वाले पुरुषों पर मिथ्यारोप का हुक्म वही है जो पवित्राचारिणी महिलाओं पर मिथ्यारोप का हुक्म है।

“फतहलबारी” (12/188)

तथा अबू हुरैरा रजियल्लाहुअन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहुअलैहि व सल्लमने फरमाया : “क्या तुम जानते हो मुफलिस (दरिद्र) कौन है ? लोगों ने कहा : हमारे बीच मुफलिस वह व्यक्ति है जिसके पास दिर्हम हो न दीनार और न कोई सामान हो। तो आप ने फरमाया : मेरी उम्मत का मुफलिस वह है जो क्रियामत के दिन नमाज़, रोज़ा और ज़कात लेकर आयेगा, तथा वह इस हाल में आयेगा कि उसने इसे गाली दी होगी, इस पर आरोप लगाया होगा, इसका माल खाया होगा, इसका खून बहाया होगा और इसे मारा होगा। तो उसे इसकी नेकियाँ दे दी जायेंगी और इसे उसकी नेकियाँ दे दी जायेंगी। यदि उसके ऊपर जो कुछ अनिवार्य है उसका फैसला करने से पहले उसकी नेकियाँ समाप्त हो गईं, तो उन लोगों की गलतियों को लेकर उसके ऊपर डाल दिया जायेगा, फिर उसे जहन्न में डाल दिया जायेगा।” इसे मुस्लिम (हदीस संख्या : 2581) ने रिवायत किया है।

3- जहाँतक गीबत की बात है : तो उसका निषिद्ध होना अल्लाह तआला की किताब और नबीसल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नतमें स्पष्ट रूपसे वर्णित है।

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिनबाज़ रहिमहुल्लाहसे पूछा गया :

मेरा एक दोस्त है जो अक्सर लोगों की मान-मर्यादा (सतीत्व)के बारे में बात करता रहता है, मैं ने उसे नसीहत की लेकिन कोई फायदानहीं, ऐसा लगता है कि यह उसकी आदत बन गई, और कभीकभी उसका लोगोंके बारे में बात करना अच्छी नीयतसे होती है, तो क्या उसे छोड़ना (अर्थात् उसका बहिष्कार करना) जायज़ है ?

तो उन्होंने उत्तर दिया :

मुसलमानोंके सतीत्व के बारेमें ऐसी बात करना जिसे वे नापसंद करते हैं : एक महान बुराई है, और निषिद्ध गीबत (चुगली) मेंसे है, बल्कि बड़े गुनाहों मेंसे है। क्योंकि अल्लाह तआला का कथन है :

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

سورة الحجرات : 12

”और तुममेंसे कोई किसीदूसरे की गीबत (पीठ पीछे बुराई) न करे, क्या तुम में से कोई इसको पसन्द करेगा कि वह अपने मरे हुए भाई का मांस खाए ? तुम तो उससे अवश्य घृणा करोगे। और अल्लाह का डर रखो। निश्चय ही अल्लाह तौबा कबूल करने वाला, अत्यन्त दयावान है।” (सूरतुलहुजुरात : 12).

तथा इस लिए भी कि मुस्लिमने अपनी सहीह में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहुअन्हु से रिवायत किया है कि नबीसल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ”क्या तुम जानते हो कि गीबत क्या है ? लोगों ने कहा : अल्लाह और उसके पैगंबर इस बातको सबसे अधिक जानते हैं। आप ने फरमाया : तुम्हारा अपने भाई का चर्चा ऐसी चीज़ के द्वारा करना जिसे वह नापसंद करता है। कहा गया : आपका क्या विचार है यदि मेरे भाईके अंदर वह चीज़ पाई जाती है जिसका मैं चर्चा कह रहा हूँ ? आप ने फरमाया : यदि उसके अंदर वह चीज़ पाई जाती है जिसका तुम चर्चा कर रहे हो तो तुमने उसकी गीबत की है, और यदि उसके अंदर वह चीज़ नहीं है तो तुम ने उसपर झूठा आरोप लगाया है।”

तथानबी सल्लल्लाहुअलैहि व सल्लमसे प्रमाणित है कि “जब आप को मेराजमें आसमान पर लेजाया गया तो आपका गुज़र ऐसे लोगोपर हुआ जिनके तांबे के नाखून थे जिनके द्वारा वे अपने चेहरों और सीनों को खरोंच रहे थे। तो आप ने फरमाया : ऐ जिब्रील ! ये कौन लोग हैं ? तो उन्होंने कहा : ये वो लोग हैं जो लोगोंके गोशत खाया करते थे और उनके सतीत्वव सम्मान की चीज़ोंमें बात करते थे।” इसे अहमद और अबूदाऊद ने जैयिदसनद के साथ अनसररज़ियल्लाहुअन्हुसे रिवायत किया है।



अल्लामा इब्नेमुफलेह कहते हैं: उसकी इसनाद सही है, और फरमाया : तथा अबूदाऊद ने हसन इसनादके साथ अबू हुरैरासे मरफूअन रिवायत किया है कि "मनुष्यका किसी मुसलमानभाई की इज्जतके बारे में बिनाअधिकार के जुबानचलाना बड़े गुनाहोंमें से है।"

आपके ऊपर और आपके अलावा अन्य मुसलमानों पर अनिवार्य यह है कि मुसलमानोंकी गीबत-चुगली करने वालों के साथ न बैठें, साथही साथ उसे नसीहत करें और उसकी निंदा करें। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमने फरमाया : "तुममें से जो आदमी किसी बुराई को देखे तो उसे अपने हाथ से बदल डाले, यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो अपनी जुबान से, यदि ऐसा करने पर भी सक्षम नहीं है तो अपने दिल से, और यह सबसे कमज़ोर ईमान है।" इसे मुस्लिम ने अपनी सहीह में रिवायत किया है। यदि वह बात नहीं मानता है : तो आप उसके साथ उठना-बैठना त्याग दें, क्योंकि यह उसका खण्डन करने की पूर्ति में से है।" फतावा इब्ने बाज़ (5/401, 402).

हम आपको जो नसीहत करते हैं और जिस चीज़की सलाह देते हैं वह यह है कि : आप अल्लाहके पास इस आपदासे अज़्र व सवाबकी आशा रखें, तथा जिन लोगों ने यह बात सुनी है उनके सामने अपने आप के इससे बरी होने का प्रकटीकरण करके और उन झूठ गढ़ने वालोंकी झूठ और मिथ्यारोपका पर्दाफाश करके अपने आप की रक्षा और बचाव करें। हम समझते हैं कि आपका अपने कार्यके स्थान से दूर रहना और उनके झूठके स्पष्टीकरणसे चुप रहना, आपके बहुत से साथियोंके निकट उनके बातकी प्रामाणिकताको सुनिश्चित कर देगा। यदि आप अपनी बेगुनाहीको बयान कर और उनके झूठ व मिथ्यारोपको स्पष्ट कर अपने काम के स्थान से स्थानांतरित होना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करनेसे पहले वहाँ से स्थानांतरित नहों। तथा हम आपको यह भी सलाह देते हैं कि आप शरई न्यायपालिकाके सामने उनके आप के ऊपर झूठा आरोप लगाने को सिद्ध करें और उनके ऊपर शरई दण्ड लागू करने की मांग करें।

शैख अब्दुल्लाह बिन जिब्रीन से प्रश्न किया गया :

दो व्यक्तियोंने एक दूसरे की गीबत की, ताकि दोष उसके ऊपर आए और अपने आपको दूसरोंके सामने बरी कर सकें, लेकिन दूसरा व्यक्ति गीबत के पापोंका अल्लाह से डर रखता है, उदाहरणके तौर पर पति और पत्नी ने झगड़ा किया, और आपसमें मतभेद पैदा हो गया, चुनाँचे पत्नी अपने घरवालों के यहाँ चली गई और उसके पति से जो कुछ हुआ और उसने जो कुछ किया था उसके बारेमें अपने घर वालोंके सामने उसकी गीबत की। फिर उसके घर वाले उठकर अपनी बारी पर उस आदमी-अपनी बेटी के पति-की दूसरोंके सामने गीबत करते हैं, इसी तरह वे करते हैं यहाँ तक कि उस आदमीको बदनाम व रूसवा कर देते हैं, चाहे उसके अंदर वह चीज़ पाई जाती हो या न पाई जाती हो। परंतु जब उस आदमी-महिलाके पति ने अपनी पत्नी और उसके घर वालोंकी ओरसे लोगोंके सामने होने वाली गीबत और अन्याय के बारेमें सुना : तो उसने उसीके समान चीज़के द्वारा अपना बचाव करना चाहा, और यह इरादा किया कि उस (महिला-पत्नी) से होने वाली चीज़ोंको लोगोंसे बता दे, लेकिन उसे गीबत और जुल्मके गुनाहोंसे अल्लाह का डर लगता है, तो क्या वह चुप रहे और अपने मामलेको अल्लाहके हवाले



सौंपदे, और जो कुछहुआ है उसकी परवाहन करे ?

तो उन्होंने उत्तर दिया :

इसमेंकोई शक नहीं किगीबत हराम है, और वह आपका अपनेभाई का चर्चा ऐसीचीज़ के द्वाराकरना है जिसे वहनापसंद करता है, भले ही आप जो कुछकह रहे हैं उसमेंआप सच्चे हों।लेकिन यदि आप नेउसके ऊपर झूठ बातलगाई है जो उसकेअंदर पाई नहींजाती है : तो यह बहुतबड़ा बोहतान औरमहा अन्याय है, और उसका पाप गीबतके पाप से भी बढ़करहै। इस आधार परपति के लिए जायज़है कि वह अपने आपकोउस चीज़ से बरी ठहराएजो उन्होंने उसकेऊपर लोगों के सामनेझूठ बाँधा है, ताकि आम लोगोंको पता चल जाए किउसके बारे मेंजो कुछ कहा गयाहै वह सही नहींहै, और वह बरीहो जाए औ झूठ सेउसकी मर्यादा कीरक्षा हो सके।क्योंकि यदि वहचुप रहता है : तोलोग उस चीज़ को सहीमान लेंगे जिससेउसे आरोपित कियागया है, और उसकोसच समझेंगे, और उसकी बदनामीफैल जायेगी। इसीतरह जो व्यक्तिइससे अवज्ञत हैउसे चाहिए कि वहपत्नी और उसकेघर वालों को मात्रगीबत-चुगलखोरी, झूठ और मिथ्यारोपसे तथा पति पत्नीके बीच रहस्योंका पर्दाफाश करनेसे बचने की नसीहतकरे, और उन्हेंयह बतलाए कि यहगुमान (भ्रांति)में से है, और भ्रांतिसबसे झूठी बातहै। इसी तरह उनदोनों के बीच सुधारकरने, एकजुटकरने और दिलोंके अंदर जो द्वेष, घृणा और दुश्मनीहै उसे दूर करनेका प्रयास करना चाहिए, आशा हैकि स्थिति सुधरजाए और संगत बहालहो जाए जिस तरहकि पहले थी।

“अल्लू-लुउलमकीन मिन फतावाअशशैख इब्न जिब्रीन” (अन्निकाह/प्रश्न359)

और अल्लाहतआला ही सबसे अधिकज्ञान रखता है।